

३ प्रश्न:- अंकेक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए :-

अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य नियोक्ता या उसके कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये खातों एवं विवरणों का सत्यापन करना है। हालांकि, कपटों तथा त्रुटियों को दूढ़ना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है किन्तु इसे मुख्य उद्देश्य का सहायक माना जाता चाहिए।

सुविधा के दृष्टिकोण से अंकेक्षण के उद्देश्यों की निम्नांकित वर्गों में बाँटा गया है।

१. मुख्य उद्देश्य (Primary objects) :-

i) लेखा पुस्तकों की जाँच :- अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य संस्था की लेखा पुस्तकों की जाँच करना है यहाँ जाँच का तात्पर्य लेखा का प्रमाणकों से मिलान करना है जिनके आधार पर लेखे किये गये हैं। प्रत्येक लेखे के लिए प्रमाणक का होना आवश्यक होता है। सामान्यतया प्रमाणक का होना आवश्यक होता है। सामान्यतया प्रमाणक लिखित प्रपत्र होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक लेखे के लिए प्रमाणक का होना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रमाणक के लिए लेखे का भी होना आवश्यक है।

ii) वार्षिक विवरणों का सत्यापन (Varification of final statement) :- वार्षिक विवरणी का अर्थ संस्था के लाभ-हानि खाते एवं आर्थिक चिट्ठा से है। इस संबंध में अंकेक्षक यह पता लगाता है कि लाभ-हानि खाता द्वारा प्रदर्शित लाभ व हानि वास्तविक है या नहीं। साथ ही आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत कर रहा है। या नहीं। अंकेक्षक को यह स्पष्ट करना होता है कि संस्था के विवरण पत्र संस्था की सही स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं।

एक अंकेक्षक को अपने को संतुष्ट करने के लिए कि संस्था की लेखा-पुस्तकें संस्था की सही स्थिति को प्रदर्शित करती हैं या नहीं।

निम्नांकित की जाँच करनी चाहिए।

- i) उसे आन्तरिक निरीक्षक की प्रणाली की जाँच करनी चाहिए।
- ii) उसे लेखा-पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जाँच करनी चाहिए।
- iii) उसे लेनदेनों की प्रामाणिकता एवं वैद्यता की जाँच मूल प्रमाणों से करनी चाहिए।

iv) उसे यह देखना चाहिए कि पूंजीगत मदों एवं आय-गत मदों के बीच सही-सही अंतर स्पष्ट किया गया है या नहीं।

v) उले यह भी देखना चाहिए कि आर्थिक चिट्ठा में प्रस्तुत सम्पत्तियों सही मूल्य पर मूल्यांकित की गई है या नहीं साथ ही व्यवसाय की संपत्तियों व्यवसाय में विद्यमान है या नहीं।

२. सहायक उद्देश्य (Subsidiary objects) :-

अंकेक्षण के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये कार्यों को सहायक उद्देश्य कहते हैं। अंकेक्षण के सहायक उद्देश्य अग्रीखित हैं :-

(i) **अशुद्धियों की खोज :-** लेखा पुस्तकों की सत्यता जानने के लिए लेखा पुस्तकों में हुई अशुद्धियों का ढूँढना आवश्यक है। हालाँकि गलतियों का ढूँढना अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं है किन्तु पर्याप्त सतर्कता बरतना अंकेक्षक का कर्तव्य होता है। अंकेक्षण का कार्य करते समय उसे शंकालु दिमाग से काम नहीं करना चाहिए लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह पूरी सावधानी बरते ही नहीं। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों की जाँच उसे बुद्धिमता के साथ करनी चाहिए।

ii) **अशुद्धियों की रोक :-** एक अंकेक्षक का कार्य खाता-पुस्तकों की अशुद्धियों को ढूँढकर संस्था के स्वामी को बता देना होता है। भविष्य में इन अशुद्धियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी इसकी गारंटी देना अंकेक्षक का काम नहीं है। भविष्य में गलतियाँ नहीं हो, इसके लिए संस्था के प्रबंधक व स्वामी को ही कारगर कदम उठाने होंगे। अंकेक्षक के सुझाव को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना प्रबंधकों व स्वामी का काम होता है। इस संबंध में आंतरिक नियन्त्रण व्यवस्था अशुद्धियों को रोक का स्वोत्तम तरीका है। खातों के नियमित अंकेक्षण से भी अशुद्धियों पर रोक लगती है।

iii) **छल कपट की खोज :-**

ऐसी अशुद्धियाँ जो संस्था के कर्मचारियों द्वारा जान-बूझकर भोजनाबद्ध तरीके से किसी को धोखा देने या नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से लेखों में की जाती है छल-कपट कहलाती हैं। ऐसी अशुद्धियाँ स्वाभाविक ढंग से नहीं होती हैं बल्कि इन अशुद्धियों को

किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा जान बूझकर पूर्व निर्धारित ढंग से किया जाता है जिससे संस्था या अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचे।

डिक्सी का कथन “कपट का पता लगाना अंकेक्षक के कर्तव्य का प्रमुख भाग है। जो अंकेक्षक कपटों का पता लगा लेता है वह ऐसे अंकेक्षक से अधिक अच्छा है जो कपटों का पता नहीं लगा पाता।”

iv) छल-कपट की रोक :-

छल-कपट का रोकना अंकेक्षक का काम नहीं अपितु अंकेक्षण का उद्देश्य आवश्यक है। छल-कपट रोकने का कार्य संस्था के प्रबंधक व मालिक करते हैं। अंकेक्षक केवल उन तथ्यों को स्पष्ट कर सकता है जिनसे छल-कपट को बल मिलता है। छल-कपट को नियंत्रित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावपूर्ण होती है। अंकेक्षण स कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है जिससे छल-कपट की मात्रा कम होती है।

v प्रबंधको को सलाह देना :-

लेखा-पुस्तकों के परीक्षण के दौरान अंकेक्षक के समझ अनेक प्रकार की कमियाँ व त्रुटियाँ आती हैं। अतः अंकेक्षक का यह कर्तव्य हो जाता है कि उन कमियों व त्रुटियों के संबंध में संस्था के प्रबंधकों को अपनी सलाह दें। हालांकि सलाह देना अंकेक्षक का वैधानिक कर्तव्य नहीं है, फिर भी व्यावहारिक तौर पर यह परम्परा बनी हुई है कि अंकेक्षक कमियों के संबंध में प्रबंधको का ध्यान अकर्षित करता है और उचित सलाह देता है।

६. कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना :-

अंकेक्षण के कार्य से कर्मचारियों के मन में भय उत्पन्न होता है और जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इससे कर्मचारियों में नैतिकता का उत्थान होता है और वे समय पर तथा ईमानदारी से अपने कार्य का सम्पादन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका प्रभाव गलतियों का कम होना होता है और यदि होती हैं तो पकड़ी जाती हैं।

७. अधिनियम के आदेश की पूर्ति :-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक को यह देखना होता है कि संस्था के खाते-पुस्तक व विवरण वैधानिक तौर-तरीके के आधार पर बनाये गये हैं या नहीं। अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि संस्था के लाभ हानि खाते तथा आर्थिक चिट्ठा विद्यान के प्रावधानों के

आधार पर बनाये गये हैं या नहीं साथ ही वे संस्था की सही स्थिति को स्पष्ट करते हैं या नहीं

८. **स्वस्थ वातावरण का सृजन :-**

अंकेक्षण का उद्देश्य संस्था में स्वस्थ वातावरण का सृजन करना भी होता है। जब कर्मचारी को इस बात की जानकारी हो कि उनके द्वारा किये गये कार्यों की जाँच अंकेक्षक द्वारा की जाएगी तो वे अपने कार्यों के प्रति सतर्क हो जाते हैं जिससे अशुद्धियों एवं कपट की संभावना कम हो जाती है जोकि स्वस्थ वातावरण का परिचायक है। अतः अंकेक्षण के कार्य से संस्था में स्वरूप वातावरण का सृजन होता है।

(३) सामाजिक उद्देश्य (Social Objects) :-

जब सरकार समाजवादी समाज की स्थापना के लिए दृढ़ है अंकेक्षण के सामाजिक उद्देश्य भी हो जाते हैं। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही केन्द्रीय सरकार को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 233-1 के अन्तर्गत किसी भी कम्पनी का विशेष अंकेक्षण कुछ स्थितियों में करा सकने का अधिकार प्राप्त है यदि उसे विश्वास हो जाये कि कम्पनी का संचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है।

सामाजिक उद्देश्य को निम्न वर्गों में बाँटा जा सकता है।

i) विनियोजकों की सुरक्षा (Protection to investors)

हालाँकि विनियोजकों को अनेक वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी यदि चौकसी नहीं बरती जाय तो विनियोजन सुरक्षित नहीं हो सकते विनियोजकों की सुरक्षा का तात्पर्य उनकी पूंजी की सुरक्षा से है। यही कारण है कि विनियोजकों के हित की रक्षा के लिए सरकार ने अपने हाथों में कुछ अधिकारों को ल रखा है, ताकि संदेह की स्थिति में वह कम्पनी के खाते-पुस्तकों की विशेष जाँच करा सके। अंकेक्षण का उद्देश्य विनियोजकों के हितों की रक्षा करना है।

ii) कर की चोरी से सुरक्षा (Protection against Evasion of tax) :-

सरकारी आय के स्रोतों में से कर भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि कम्पनियों की शुद्ध आय पर विनियोजकों को प्राप्त लाभांश पर आय पर कर बिक्री पर कर उत्पादन पर कर के रूप में प्राप्त किया जाता है। अंकेक्षक के माध्यम से सरकार को संस्थाओं की

वास्तविक स्थिति की जानकारी होती रहती हैं। जिससे वे कर की चोरी में सफल नहीं हो पाते कर बचाने का सबसे अच्छा तरीका पूंजी पर कम से कम आय-अर्जन का दिखाया जाना है। इसके लिए कम्पनियों के द्वारा उच्च दंतिकरण का बनावटी स्वरूप अपनाया जाता है जिससे उन्हें कर की बचत हो सके। कम्पनियों की प्रकृति की सूचना सरकार को प्रदान कर, कर की चोरी की समस्या को समाप्त या न्यूनतम कर सकता है।

iii) पूंजी के क्षरण से सुरक्षा (Protection Deomcapital Erosion) :-

पूंजी क्षरण का तात्पर्य पूंजी को लाभांश के रूप में बांटने से है। हम पूंजी के क्षरण की कैंसर की बीमारी से तुलना कर सकते हैं जो कंपनी की मौत (समापन) को अत्यंत निकट कर देती हैं। पूंजी का क्षरण सम्पतियों पर कम ह्रास दिखाने, स्टॉक का अधिक मूल्य वर मूल्यांकन करने से होता है अंकेक्ष की सहायता से सूचना प्राप्त कर सरकार पूंजी क्षरण की समस्या को दूर कर सकती है।

iv) विनियोजकों के साथ न्याय (Justice to investors)

:-

विनियोजको को न्याय तभी दिया जा सकता है, जब कम्पनी की लाभार्जन क्षमता तथा शोधन क्षमता उचित बनी रहे। विनियोजकों द्वारा लगायी गयी पूंजी पर उतना लाभांश अवश्य मिलना चाहिए जितना कि दूसरी कम्पनियों द्वारा दिया जा रहा हो किन्तु शोधन क्षमता को खतरे में डालकर दूसरी कम्पनि के बराबर लाभांश देने की नीति उपयुक्त नहीं होती है। लाभांश की दर पूंजीकरण पर निर्भर करती है। विनियोजनको के साथ न्याय हो रहा है या नहीं इस बात का भी स्पष्टीकरण अंकेक्षक करता हैं।

अ) श्रमिकों के लिए समुचित मजदूरी की माप (Measurement of fair wages for the Laboure) :-

श्रमिकों के लिए समुचित मजदूरी की माप सामान्य अंकेक्षण के क्षेत्र में नहीं आती है। अतः समुचित मजदूरी की माप सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में आती है। इसके अन्तर्गत अंकेक्षक को यह देखना होता है कि मजदूरी सामान्य मूल्य निर्देशांक के अनुरूप है या नहीं। कही श्रम लागत नियंत्रण के लिए मजदूरी में से कटौती नहीं की गई है। श्रम लागत नियंत्रण उनकी उत्पादकता में वृद्धि लाकर किया जाता हैं।

vi) उपयोक्ताओं के लिए समुचित मूल्य (Reasonable price for the cosers) :-

‘समुचित’ शब्द एक विवादास्पद शब्द है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर बड़ी मात्रा में ग्राहकों का छूट दी जाती है। यह ग्राहकों का शोषण है। सामाजिक उद्देश्य का यह पहलू ग्राहकों को मदद करता है अर्थात् सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर वस्तुएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

vii) सामाजिक लागत एवं लाभ का मूल्यांकन (Evaluation of Social cost and Benefit) :-

यह समाज कल्याण के मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है जो कि व्यवसाय द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए प्रदान किये जाते हैं। उत्पाद रेखा, उत्पाद रूपांकन आदि सामाजिक अंकेक्षण के सामाजिक लागत एवं लाभ के मूल्यांकन के अन्तर्गत आते हैं।

४. विशिष्ट उद्देश्य (Specific Objects) :-

कुछ अंकेक्षण विशिष्ट उद्देश्य से कराये जाते हैं। सामान्यतया तौर पर अंकेक्षण समस्त खाता-पुस्तकों का होता है। जबकि विशिष्ट अंकेक्षण में खाता-पुस्तकों के विशेष भाग का ही अंकेक्षण होता है। लागत अंकेक्षण इसी अंकेक्षण का उदाहरण है ऐसे अंकेक्षण का उद्देश्य संस्था की प्रबन्धकीय क्षमता का पता लगाना होता है। इसी प्रकार कार्यान्वयन अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य संस्था की नीति व प्राप्त लक्ष्य का विश्लेषण करना होता है। इसका उद्देश्य संस्था द्वारा किये गये अनुमानों का विश्लेषण करना होता है।